जयपुर विद्यत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष कार्यवाही

अत्यधिक छीजत वाले फीडरों पर केन्द्रीय सतर्कता टीमों की नियुक्ति

16 जनवरी से सघन सतर्कता जांच अभियान शुरु

जयपुर, 2 फरवरी। प्रदेश में बिजली चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए विद्युत वितरण निगमों के सतर्कता एवं पवस विंग के अधिकारियों द्वारा सतत् सतर्कता जांच के साथ ही समय–समय पर विशेष सतर्कता जांच अभियान चलाकर दोषियों की धरपकड़ कर विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही से विद्युत छीजत में कमी लाकर बिजली चोरी रोकने के उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे है। उल्लेखनीय है कि अप्रेल, 2006 से दिसम्बर, 2012 तक दर्ज मुकदमों में से 84 प्रतिशत से अधिक बिजली चोरी प्रकरणों में अदालत द्वारा सजा दी गई है।

जयपुर विद्युत वितरण निगम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) श्री जे0सी0 शर्मा नोडल अधिकारी डिस्कॉम्स ने बताया कि विद्युत चोरी सम्बन्धी अपराधों पर प्रभावी नियन्त्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 एवं 2010 में अलग–अलग अधिसूचनाएं जारी कर प्रदेश भर में 35 विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानों का सृजन किया गया था। इसके अलावा 5 सितम्बर, 2011 को एक ओर अधिसूचना जारी कर 11 अतिरिक्त विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानें सृजित किए गए हैं, इन थानों ने माह जनवरी, 2012 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया गया है।

उन्होनें बताया कि अप्रेल, 2006 एवं तद्पश्चात् स्थापित 35 विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानों में दिसम्बर, 2011 तक पंजीबद्ध हुए पैंतालीस हजार चार सौ उनसठ अभियोगों में से 40हजार 124 प्रकरणों के प्रशमन द्वारा 3093.07 लाख रुपए की वसूली की गई तथा 3141 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 2577 प्रकरणों में सक्षम न्यायालय में चालान पेश किए गए। उल्लेखनीय है कि विद्युत चोरी सम्बन्धित अपराधों पर नियन्त्रण के मामलों में जयपुर डिस्कॉम के अन्तर्गत स्थापित विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानों की प्रगति अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम के अन्तर्गत स्थापित थानों से अधिक रही है।

श्री शर्मा ने बताया कि जयपुर डिस्कॉम द्वारा गत 3 माह से अपने क्षेत्र के अधीन आने वाले प्रत्येक जिले में बिजली चोरी बाहुल्य क्षेत्रों को चिन्हित कर, अत्यधिक छीजत वाले फीडरों पर स्थानीय जांच दलों के साथ केन्द्रीय सतर्कता दल की टीमों को नियुक्त कर सघन सतर्कता जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसके परिणाम उत्साहजनक रहे है। इस क्रम में जयपुर डिस्कॉम द्वारा उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता) को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर 16 जनवरी से 31 मार्च, 2012 तक एक विशेष सतर्कता जांच अभियान चलाया जा रहा है। जांच अभियान में झालावाड़ एवं बारां वृतों में भारी संख्या में अवैद्य ट्रांसफार्मर्स जब्त कर बिजली चोरों के खिलाफ कार्यवाही की गई है।

समस्त आम–जन से अपील है कि राष्ट्र एवं प्रदेश के हित में बिजली चोरी न तो स्वयं करें और न ही अन्य को इस कार्य के लिए प्रोत्सहित करें। बिजली चोरी एक अपराध है एवं इस अपराध के लिए सजा भी हो सकती है। जिसका परिणाम बिजली चोरी करने वाले के साथ ही उसके परिवार एवं अन्य ईमानदार बिजली उपभोक्ताओं को भी भुगतना पड़ता है। कहीं पर भी बिजली चोरी देखें तो उसकी सूचना नजदीक के निगम कार्यालय या विद्युत चोरी निरोधक थाने को अवश्य दें।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 265/2012